

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-171/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00246)

1. शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर पंजीयन क्रमांक 2544/ एल जरिये सचिव श्री महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह, निवासी ए-2-3, अल्पना कॉलोनी, खातीपुरा पुलिया के नीचे, झोटवाडा जयपुर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जयपुर विकस प्राधिकरण जरिये सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण इन्द्रा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. प्राधिकृत अधिकारी (उपायुक्त जोन-9) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
3. फारच्यून प्रोपकॉन प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय 601, गीता एनक्लेव, विनोबा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान जरिये डायरेक्टर,
4. श्रीमती मूली देवी धर्मपत्नी श्री लादूराम,
5. श्रीमती तीजा देवी धर्मपत्नी श्री राधेश्याम, समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम डूंगरी, तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान एवं ग्राम महल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 08.05.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपायुक्त जोन-9) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आदेश दिनांक 17.09.2013 (प्रकरण संख्या 216/2009) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90 ए के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी समिति पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समिति है जिसका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से जयपुर जिला जयपुर महानगर के वासिन्दों की आवासीय समस्याओं का समाधान करना है, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि वाके ग्राम महल, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 81 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 81/472 रकबा 5 बीघा कुल रकबा 10 बीघा स्थित है, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 ने अपने कब्जे काश्त, हक व अधिकार की उक्त सम्पूर्ण भूमि को अपीलार्थी समिति को जरिये इकरारनामा दिनांक 14.07.1981 को 90,000/-रूपये प्रतिबीघा की दर से विक्रय किया तैय कर समक्ष गवाहान अपनी-अपनी अंगूठा निशानी कर अपीलार्थी समिति के पक्ष में अनुबन्ध पत्र दिनांक 14.07.1981 विधिवत रूप से स्वयं को अपने जिम्मे की शर्तों से पाबन्द करते हुये निष्पादित कर उक्त वर्णित आराजीयात का मौके पर भौतिक रूप से कब्जा अपीलार्थी समिति को संभला दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 ने उक्त वर्णित विक्रय की गई आराजीयात से सम्बन्धित सम्पूर्ण हक व अधिकार अपीलार्थी समिति का प्रदत्त कर दिये, तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के द्वारा अपीलार्थी के हित में निष्पादित किये गये विक्रय अनुबन्ध की अनुपालना में समय व राशि बढ़ाने हेतु सहमति बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के द्वारा अनुबन्ध पत्र दिनांक 14.07.1981 की पुश्त पर दिनांक 14.07.1984 को समक्ष गवाहान अपनी-अपनी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(2)

अंगूठा निशानी लगाते हुये तहरीर की गई, तत्पश्चात् उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 433 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 438 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 442 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.19 हैक्टर, कुल किता 14 कुल रकबा 2.52 हैक्टर बनाये गये तथा सबिका के नये खसरा नम्बर बनाये गये के पश्चात् पूर्व में रेस्पोजेन्ट संख्या 4 व 5 के द्वारा अपीलार्थी समिति के हित में निष्पादित किये गये अनुबंध पत्र दिनांक 14.07.1981 व 14.07.1984 की अनुपालना में रेस्पोजेन्ट संख्या 4 व 5 के द्वारा अपीलार्थी समिति के पक्ष में 5/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर समक्ष गवाहान अपनी-अपनी अंगूठा निशानी कर दिनांक 20.01.1991 को अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया, रेस्पोजेन्ट संख्या 4 व 5 के द्वारा अपीलार्थी समिति से विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर फुल एण्ड फाईनल पैमेन्ट बाबत दिनांक 31.12.1994 को एक अनुबंध पत्र समक्ष गवाहान अपनी-अपनी अंगूठा निशानी कर विधिवत रूप से निष्पादित किया, इस प्रकार उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात का अपीलार्थी समिति दिनांक 14.07.1981 से ही एकमात्र स्वामिनी, काबिज जायदाद है तथा उक्त वर्णित आराजीयात पर अपीलार्थी समिति व उसके सदस्ये दिनांक 14.07.1981 से ही बतौर स्वामी, मालिक काबिज जायदाद की हैसियत से काबिज होकर शान्तिपूर्ण तरीके से उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं, उक्त अनुबंध पत्रों के सम्बन्ध में रेस्पोजेन्ट संख्या 4 व 5 के द्वारा शपथ पत्र भी विधिवत रूप से अपीलार्थी समिति के पक्ष में लिये गये हैं तथा अपीलार्थी समिति के द्वारा उक्त अनुबंध पत्रों की अनुपालना करने हेतु रेस्पोजेन्ट संख्या 4 व 5 को बराबर-बराबर रूप से तलब व तकाजा किया जाता रहा है लेकिन रेस्पोजेन्ट संख्या 4 व 5 ने उक्त अनुबंध पत्रों की अनुपालना नहीं की तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 3 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 4 व 5 से आपस में मिलीभगत नाजायज सांठगांठ व काल्यजन करते अवैध व गैर कानूनी तरीके से पूर्व में अपीलार्थी समिति को विक्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में पश्चात्वर्ती रूप से रेस्पोजेन्ट संख्या 4 व 5 से अपने पक्ष में एक विक्रय पत्र दिनांकित 27.07.2009 फर्जी व कूटरचित तरीके से तैयार करवा लिया, जिससे रेस्पोजेन्ट के उक्त अनाधिकृत कृत्य की जानकारी होने पर अपीलार्थी समिति ने अपने हितों एवं अधिकारों की रक्षार्थ हेतु रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध संविदा की शिशष्टा अनुपालना, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दीवानी वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनाम श्रीमती मूलीदेवी व अन्य न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जो अन्तरित होकर विचारण हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-2 जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष नियत हुआ जिसमें न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-2 जयपुर महानगर जयपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर पक्षकारान को सुना जाकर दिनांक 11.01.2011 को उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण सम्पत्ति का अन्तरण नहीं करने बाबत स्थगन आदेश पारित किया गया तथा उक्त दीवानी वाद में रेस्पोजेन्ट संख्या 4 व 5 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के रूप में तथा रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 3 पक्षकार के रूप में संयोजित है जिससे रेस्पोजेन्ट्स को उक्त दीवानी प्रकरण व उसमें पारित स्थगन आदेश की भली

P.T.O.

भागीय आयुक्त
जयपुर

(3)

भांति प्रकार से जानकारी है तथा वर्तमान में भी उक्त स्थगन आदेश प्रभावी है तथा वर्तमान में उक्त दीवानी प्रकरण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश क्रम संख्या-19, सांगानेर जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.05.2019 नियत है, उक्त दीवानी वाद के जरिये अपीलार्थी समिति के द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के नाम से फर्जी व कूटरचित तथाकथित विक्रय पत्र का अवैध व प्रभावशून्य घोषित करवाये जाने हेतु अनुतोष चाहा है तथा उक्त दीवानी वाद पत्र में पक्षकारान के अधिकार तैय होने हैं, इन सम्पूर्ण तथ्यों की रेस्पोजेन्ट्स को भली भांति प्रकार से जानकारी थी लेकिन उसके पश्चात् भी पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन रहते हुये व उसमें स्थगन आदेश पारित होने व रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के तथाकथित विक्रय पत्र के सम्बन्ध में निस्तारण हुये बिना ही रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 3 को अनाधिकृत लाभान्वित करने की बदनियती से उक्त 90ए की कार्यवाही करने का आदेश दिनांक 17.09.2013 को पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.04.2010 पर यह तथ्य अंकित है कि प्रकरण में कोर्ट कैस की स्थिति के बारे में प्रार्थी कम्पनी द्वारा 10/-रूपये के स्टाम्प पर किसी भी कोर्ट में उक्त भूमि बाबत कोई विवाद विचाराधीन नहीं होने बाबत लिखा है जबकि तत्समय उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी समिति के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 3356/2008 व रिट याचिका संख्या 3959/2008 विचाराधीन थी जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा दिनांक 08.04.2008 व दिनांक 24.04.2008 को स्थगन आदेश भी विधिवत पारित किया गया था तथा इसके अतिरिक्त एक रेफरेन्स संख्या 240/2010 हरिराम पूनिया व अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर विकास अधिकरण के समक्ष लम्बित था जिसमें दिनांक 01.11.2012 को स्थगन आदेश भी पारित किया गया था कि दोनों पक्षों की सहमति से पारित होने वाले प्रभावी न्यायिक निर्णय के अध्याधीन विवादित जमीन के पट्टे जारी करने की कार्यवाही करें तथा इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष एक एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 3959/08 तिलक सिंह बनाम राज. सरकार व एक डी.बी.स्पेशल अपील (रिट) संख्या 458/09 लम्बित थी जिसमें स्वयं रेस्पोजेन्ट्स भी पक्षकार थे लेकिन उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की रेस्पोजेन्ट संख्या 3 व अधीनस्थ अधिकृत प्राधिकारी को पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् भी रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के द्वारा मिथ्या शपथ पत्र उक्त अभिवचानों सम्बन्धित प्रस्तुत किया गया तथा उक्त मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर की गई कार्यवाही बाबत पारित अपीलार्थीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ अधिकृत प्राधिकारी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने 90क की कार्यवाही आदेशिका दिनांक 30.03.2011 के जरिये जो कार्यवाही 90क की है, वह बैचान दिनांक 03.08.2009 के जरिये रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के हित में अधिकार सृजित होना उल्लेखित करते हुये की है जबकि रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के नाम का कोई बैचान विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 03.08.2009 का नहीं है बल्कि जो फर्जी व कूटरचित विक्रय पत्र है, वह भी दिनांक 27.07.2009 का उल्लेखित है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

P.T.O.

(4)

अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादग्रस्त सम्पत्ति सम्बन्धित उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी समिति को नोटिस प्रेषित नहीं किया गया है, ना ही अपीलार्थी समिति को सबूत, साक्ष्य, प्रस्तुत करने का अवसर ही दिया गया है, ना ही मौके पर कब्जे बाबत कोई मौका निरीक्षण ही करवाया गया है, ना ही मौके की कब्जा रिपोर्ट ही मंगवाई गई है, ना ही कोई कब्जा बाबत सर्वेयर की रिपोर्ट मंगवाई गई है बल्कि उक्त विधिक कार्यवाही का अनुसरण किये बिना ही उक्त विधि विरुद्ध तरीके से आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र धारा 96 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी समिति अनुबंध पत्र दिनांक 14.07.1981, 14.07.1984, 20.01.1991 व अनुबंध पत्र दिनांक 31.12.1994 के आधार पर सद्भावी क्रेता है तथा अपीलार्थी समिति का वादग्रस्त सम्पत्ति पर वर्ष 1981 से ही विधिक कब्जा है तथा अपीलार्थी समिति के द्वारा उक्त इकरारनामों की विशिष्ट अनुपालना एवं घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का नियमित वाद विचाराराधीन है जिसके जरिये रेस्पोजेन्ट संख्या 3 व अपीलार्थी समिति के हित व अधिकार निहित होते हैं तथा अपीलार्थी समिति के पक्ष में सेशन न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के द्वारा उपरोक्तानुसार स्थगन आदेश भी पारित किये गये हैं जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी समिति जो कि पीड़ित पक्षकार है को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं उसको पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया बिना ही उक्त आदेश पारित किया है जबकि उक्त प्रकरण एवं वादग्रस्त सम्पत्ति में उपरोक्तानुसार निवेदनानुसार अपीलार्थी समिति का हित व अधिकार निहित है जिससे उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-9 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.2013 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी का अपील में वर्णित भूमि से किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार ही नहीं है क्योंकि अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलान्त के पक्ष में रेस्पोजेन्ट्स संख्या 4 व 5 द्वारा कोई तथाकथित इकरारनामा होना अंकित किया है परन्तु विधि अनुसार इकरारनामों से ना तो किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार उत्पन्न होता है ऐसी अवस्था में विवादित भूमि एवं उक्त प्रकरण में विवादित आदेश से अपीलान्त के किसी भी प्रकार के कोई विधिक अधिकार का हनन नहीं होता है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलान्त स्वयं ने अपील में अंकित किया है कि अपीलान्त ने इकरारनामों की पालना हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 19 के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है ऐसी अवस्था में विधि अनुसार साबित है कि अपीलान्त के कोई विधिक अधिकार वाद के निस्तारण होने पर उद्भव होंगे ऐसी अवस्था में अपीलान्त को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार विधि अनुसार प्राप्त नहीं है तथा अपीलान्त का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(5)

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने कथन किया है कि अपीलान्त एक गृह निर्माण सहकारी समिति है तथा उनके स्वयं के द्वारा बनाये गये नियमानुसार अपीलान्त किसी प्राईवेट खातेदार से भूमि क्रय नहीं कर सकती है ऐसी अवस्था में यदि अपीलान्त द्वारा रेस्पोजेन्टस संख्या 4 व 5 से क्रय करना अंकित किया है जिससे साबित है कि अपीलान्त द्वारा स्वयं ने अपने ही नियमों की अवहेलना की है, ऐसी अवस्था में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति को विधि द्वारा कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है और ना ही प्रदान किया जा सकता है तथा विधि की अवहेलना कर अपीलान्त के पक्ष में यदि कोई तथाकथित इकरारनामा हुआ है तो भी शून्य व निष्प्रभावी है तथा जिससे अपीलान्त को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, विवादित आदेश पारित किये जाने से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पीटी सर्वे कराया गया जिसमें उक्त भूमि के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवाल की हुई प्रदर्शित की गई है तथा भूमि खाली होना अंकित किया गया जबकि यदि उक्त भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा होता तो प्रकरण में अंकित भूमि पर आवंटियों के मकान बने हुये अंकित होता। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्त स्वयं अंकित कर रहा है कि भूमि पर उसका कब्जा है और दूसरी ओर अंकित करता है कि भूमि पर आवंटी काबिज है जबकि सोसायटी अधिनियम के तहत सोसायटी द्वारा आवंटन किये जाने के पश्चात् सोसायटी के आवंटियों का कब्जा माना जायेगा परन्तु अपीलान्त ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि भूमि पर आवंटियों का कब्जा है और आवंटियों ने अपीलान्त के सचिव को उक्त अपील प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया हो।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दैनिक समाचार पत्र में सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थी परन्तु किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर विधि अनुसार उक्त अपीलान्त आदेश दिनांक 17.09.2013 पारित किया गया है तथा ऐसी अवस्था में यह साबित है कि अपीलान्त को उक्त आदेश में की जाने वाली कार्यवाही की पूर्ण जानकारी रही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त का वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं होने से अपील अपीलान्त खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क की कार्यवाही के समय वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में स्वामित्व रेस्पोजेन्ट संख्या 3 लगायत 5 का रहा है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त आदेश पारित किया गया है, यदपि अपीलान्त ने अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्टस के मध्य इकरारनामा सम्बन्धी विवाद बाबत विभिन्न न्यायालय में जैरकार बताये गये किन्तु अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त में अपने स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलान्त वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की अपनी लोकस स्टेण्डाई नहीं रखते है तथा अपीलान्त की वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की लोकस स्टेण्डाई ही नहीं है तो उन्हे अपीलान्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के अधिकार भी प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज योग्य प्रतीत होता ह।

P.T.O.

भागिय आयुक्त
जयपुर

(6)


अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।



(के०सी०वर्मा)

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर।